

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:—रुक्मणि रियार सिहाग, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्या:—03/2023

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

—स्टेट

बनाम

नाजम अली पुत्र गुलाम नबी मुसलमान उम्र 32 साल निवासी वार्ड नं. 20 डबलीवास मौलवी पुलिस थाना सदर, जिला हनुमानगढ़।

—गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थित:—1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।

2. गैरसायल स्वयं।

निर्णय

दिनांक:—01.11.2023

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ द्वारा मार्फत पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल नाजम अली पुत्र गुलाम नबी मुसलमान उम्र 32 साल निवासी वार्ड नं. 20 डबलीवास मौलवी पुलिस थाना सदर, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है। गैरसायल सट्टा की खाईवाली करने का आदतन अपराधी है जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। गैरसायल सट्टा की खाईवाली आम जनता को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ग्राम डबलीवास मौलवी के लोग इससे काफी भयभीत रहते हैं। इसको इस सट्टा की खाईवाली का अवैध धन्धा करने से मना करने पर ये झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। इसकी शिकायत करने से लोग डरते हैं। गैरसायल की पंचायत डबलीरावास मौलवी में आम शोहरत खराब है। पुलिस थाना, सदर हनुमानगढ़ के रिकॉर्ड के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध निम्न 3 अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये हैं जिनमें सभी अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

| क्र.सं. | मु. नं. मय दिनांक | धारा | नतीजा पुलिस | नतीजा अदालत |
|---------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 1 | 128/07.05.2023 | धारा 13 आरपीजीओ | चालान | सजा 27.06.2022 |
| 2 | 274/09.08.2022 | धारा 13 आरपीजीओ | चालान | सजा 09.11.2022 |
| 3 | 326/10.10.2022 | धारा 13 आरपीजीओ | चालान | सजा 23.11.2022 |

गैरसायल की आपराधिक गतिविधियां के कारण आम जनता को आर्थिक नुकसान हो रहा है जिसका समाज में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में गैरसायल की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावे।

गैरसायल नाजम अली पुत्र गुलाम नबी मुसलमान उम्र 32 साल निवासी वार्ड नं. 20 डबलीवास मौलवी पुलिस थाना सदर, जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल दिनांक 14.06.2023 को जरिये वकील श्री चन्द्रभान भाटिया उपस्थित।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बंदर किया जावे।

गैरसायल आज दिनांक 01.11.2023 को स्वयं उपस्थित होकर इस्तगासा में वर्णित जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल ने स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि थानाधिकारी पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ द्वारा मेरे विरुद्ध यह इस्तगासा

